

**अनुदान संख्या 91 - इस्पात मंत्रालय**  
**GRANT No. 91 - MINISTRY OF STEEL**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)

राजस्व :	Revenue:			
स्वीकृत -	Voted-	113,92,00	102,11,76	-11,80,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			11,23,74
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत -	Voted-	1,00,00	..	-1,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,00,00

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"			
उद्योग	Industries			
मू.	O.	9587.00		
			8379.76	8380.42
				+ 0.66
पु.	R.	-1207.24		

(I) "लौह एवं इस्पात उद्योग - विनिर्माण - हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम को लागू करने के लिए बैंकों से लिए गए कर्जों पर ब्याज की अदायगी के लिए आर्थिक सहायता" के अंतर्गत ₹374.26 लाख की बचत (₹4869.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंकों द्वारा ब्याज दर में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Iron and Steel Industries – Manufacture - Subsidy to Hindustan Steelworks Construction Limited for payment of Interest on loans raised from banks for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of ₹374.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4869.00 lakhs) was due to reduction of rate of interest by the bank.

(II) “सामान्य - अन्य व्यय - लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन के लिए स्कीम” के अंतर्गत ₹795.39 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं का अनुमोदन न किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

(II) Under “General - Other Expenditure - Scheme for promotion of Research and Development in Iron and Steel Sector” - saving ₹795.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to non-approval of some projects.

2. In the capital section of the grant, provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered

---